न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2021 (उदयपुर डिक्री)

1. किशनसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी पदमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. प्रेमसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी पदमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. विजयसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी पदमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती उमा कुंवर पत्नी किशनसिंह जी राजपूत, निवासी पदमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती सूरज कुंवर पत्नी प्रेमसिंह जी राजपूत, निवासी पदमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती रतन कुंवर पत्नी विजयसिंह जी राजपूत, निवासी पदमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक 04.01.2021 प्रकरण सं. 119/2018

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णय **दिनांक 19–11–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पदमपुरा, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 375/446 रकबा 0.5100 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसका आवंटन माननीय एसडवाईजरी कमेटी द्वारा दिनांक 23–01–2006 को आवंटन किया गया था एवं वादीगण का कब्जा होने से मौके पर पटवारी हल्का द्वारा कब्जे की पैमुदगी की गयी। उक्त आवंटन आदेश के बावजूद प्रतिवादी संख्या 2 ने भूमि वादीगण [illegible] खा[illegible] में अंकित नहीं की। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:38 IST
Reason: SelfAttested

विवादित आराजी वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होकर दीगर व्यक्तियों का कब्जा है तथा वादीगण के हक में कभी भी पट्टा जारी नहीं हुआ। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तीन तनकियां कायम कर दिनांक 25–02–2011 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15–03–2016 को निर्णय पारित करते हुए अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्यों के बरूऐ निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 04–01–2021 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि माननीय एलोटमेन्ट कमेटी ने उक्त भूमि अपीलान्टगण के नाम करने का आदेश दिया है एवं पालना हेतु तहसीलदार गिर्वा को लिखा, किन्तु पटवारी हल्का ने अपीलान्टगण के खाते अंकित नहीं की, जबकि इस संबंध में अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट से कई बार निवेदन किया गया, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। कब्जे के संबंध में अपीलान्टगण द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस पेश किये गये, जिससे उनका कब्जा होना साबित है तथा आवंटन आदेश आज तक खारिज नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:38 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना नहीं की है तथा साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्टगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आप न्यायालय के रिमाण्ड आदेशों की पालना करते हुए साक्ष्यों का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श 2 में विवादित आराजी नंबर 375/446 रकबा 0.5100 हैक्टर भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है तथा प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि आवंटन पट्टा अपीलान्ट/वादीगण के हक में कभी भी जारी नहीं हुआ है। पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15–03–2016 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि ''पेश शुदा रेकार्ड एवं साक्ष्यों के बरूऐ पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें।'' अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना करते हुए पेश शुदा साक्ष्यों का पुनः तनकीवार विवेचन करते हुए तथा राज्य सरकार के परिपत्र का अनुसरण करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 04–01–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19–11–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:38 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

किशनसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत, निवासी पदमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर व तहसीलदार गिर्वा

अपील नं॰....**17 / 2021**...व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**04**.....माह.....**01**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**.....माह.....**11**.....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीष शर्मा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 04–01–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**11**.....**2024** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:38 IST
Reason: SelfAttested